विवेक कुमार पोरवाल
आई.ए.एस.
प्रबंध संचालक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
"ऊर्जा भवन" मेन रोड नं. 2, शिवाजी नगर,
भोपाल -462016 (म.प्र.) भारत
फोन: 0755-2556526, फैक्स: 0755-2553122
ई-मेल: mduvnb@gmail.com, mduvn@mp.gov.in

क्रं. एफ/ऊविनि/2021/ईएमसी/11–15/10391 दिनांक : 24/01/2022

प्रति,

कुलपति,
विक्रम विश्वविद्यालय
जिला–उज्जैन (म.प्र.)
टेलीफोन–0734–2514270

SPEED-POST

विषय : "ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA)" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

वर्तमान परिदृष्य में जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो रहे है। इस स्थिति से प्रत्यीक व्यक्ति अवगत है तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भागीदार भी है। अतः ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा श्री आर.के. सिंह जी, माननीय मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अथित्य में **ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA)** का शुभारंभ दिनांक 25/11/2021 को किया गया है।

मंत्रि–परिषद् की बैठक में भी प्रदेश में व्यापक रूप से "ऊर्जा साक्षरता अभियान" को मिशन मोड में क्रियान्वित किए जाने का अनुमोदन किया गया है।

इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को समयबद्ध कार्य योजना अनुसार ऊर्जा साक्षर किया जाना है। ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) की जानकारी प्रपत्र–1 पर संलग्न है। ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) में स्कूली छात्रों, कॉलेज के छात्रों, कृषकों, गृहणियों, आमजन तथा सभी के द्वारा भाग लिया जाना है। ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) से जुड़ने हेतु www.usha.mp.gov.in पर Login किया जा सकता है, इस अभियान से जुड़ना अत्यंत सरल है तथापि इस हेतु प्रोसेस फ्लो संलग्न है (प्रपत्र–2)।

इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि, ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) से जुड़ने हेतु आप अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के अधिकारियों कर्मचारियों व विद्यार्थियों को भी इस अभियान से समय सीमा के अंतर्गत जुड़ने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

इसकी निरंतरता में मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा की खपत को कम से कम 10 प्रतिशत कम करने हेतु आदेश जारी किया गया है (प्रपत्र–3)। कृपया इस आदेश के पालन करने हेतु भी सम्बन्धित को निर्देश देना चाहेगें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रबंध संचालक

VC/84
4/2/22

DSW
28/2/22

SO
प्रस्तावित करें।
2.3.2022

प्रपत्र - 1

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 26, शक 1943

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्र. F 6-1-2021-साठ.—मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 23 नवम्बर 2021 को सम्पन्न बैठक में प्रदेश में व्यापक रूप से ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड (MODE) में क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन किया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उक्त का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, सचिव.

1. **ऊर्जा साक्षरता अभियान** - यह अवधारणा ऊर्जा समझ के सभी क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी साझा करने का प्रयास ही नहीं करती है, बल्कि ऊर्जा से सम्बन्धित मूलभूत जानकारी जो सामान्य नागरिकों के लिए आवश्यक है, को भी प्रचारित-प्रसारित करने का प्रयास है। इस नीति के इच्छित उपयोग में औपचारिक और अनौपचारिक ऊर्जा शिक्षा, मानव विकास, पाठ्यक्रम डिजाईन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापना व जानकारी, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं शिक्षण-प्रशिक्षण शामिल है।

1.1 अभियान के उद्देश्य:-

ऊर्जा साक्षरता के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा की मूल भूमिका एवं प्रकृति पर इसके प्रभाव की समझ पैदा करना है एवं आम नागरिकों को अक्षय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। इस ऊर्जा साक्षरता अभियान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(i) चरणबद्ध रूप से प्रदेश की जनता को ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत ऊर्जा साक्षर बनाने का महाअभियान।

(ii) ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय को समझा जा सके।

(iii) ऊर्जा के पारम्परिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी एवं इनका पर्यावरण पर प्रभाव की समझ पैदा करना।

(iv) ऊर्जा एवं ऊर्जा के उपयोग के बारे में सार्थक संवाद हो सके।

(v) ऊर्जा संरक्षण याने पैसों की बचत, की गणना की समझ हो सके।

(vi) दैनिक जीवन में अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की उपयोगिता स्थापित करना।

(vii) ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में जागरूक करना।

(viii) ऊर्जा उपयोग के प्रभावों, परिणामों की समझ के आधार पर इसके दक्ष उपयोग हेतु निर्णय लेने में।

(ix) पर्यावरणीय जोखिम एवं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।

(x) योजना का लक्ष्य प्रदेश के समस्त नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाना है।

2. संस्थागत व्यवस्था:-

2.1 "ऊर्जा साक्षरता अभियान" के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय साधिकार समिति" का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

2.1.1 स्वरूपः-

(1) राज्य शासन के मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग - सदस्य सचिव

(3) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य

(4) प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य

(5) प्रमुख सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग - सदस्य

(6) प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण विभाग - सदस्य

(7) प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क विभाग - सदस्य

(8) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग - सदस्य

(9) प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग - सदस्य

(10) प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग - सदस्य

(11) आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा - सह सचिव सदस्य

2.1.2 "ऊर्जा साक्षरता अभियान" के लिए गठित "राज्य स्तरीय साधिकार समिति" के मुख्य दायित्वः-

(i) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" के मिशन मोड में क्रियान्वयन बाबत् योजना रूप-रेखा को अंतिम रूप प्रदान करना।

(ii) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" को मिशन मोड में क्रियान्वित करने हेतु सभी विभागों को समय-समय पर सुझाव देना।

(iii) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करना।

(iv) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" की प्रगति की नियमित (अधिकतम 4 माह) में समीक्षा करना।

(v) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आवश्यक विनिर्देश जारी करना।

(vi) "ऊर्जा साक्षरता अभियान" के क्रियान्वयन हेतु आवंटित बजट की निधि का पुर्नविनियोजन, योजना के विभिन्न मदों में परस्पर करने हेतु स्वीकृति देना।

2.2 राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति:-

ऊर्जा साक्षरता अभियान के मिशन मोड में दिन-प्रतिदिन क्रियान्वयन हेतु, निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है:-

2.2.1 स्वरूप

(1) प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव या चयनित प्रतिनिधि , ऊर्जा विभाग - सदस्य

(3) प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लि. भोपाल - सदस्य सचिव

(4) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य

(5) सचिव या चयनिल प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य

(6) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, स्कूली शिक्षा विभाग - सदस्य

(7) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण विभाग - सदस्य

(8) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, जन सम्पर्क विभाग - सदस्य

(9) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग - सदस्य

(10) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, तकनीकी शिक्षा विभाग - सदस्य

(11) सचिव या चयनित प्रतिनिधि, खेल एवं युवा कल्याण विभाग - सदस्य

(12) अध्यक्ष महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ/ अतिथि - सदस्य

2.2.2 राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के दायित्व:-

(i) राज्य स्तरीय साधिकार समिति से प्राप्त निर्देशों को लागू करना।

(ii) ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वित करने हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रचार सामग्री तैयार करने, वेब पोर्टल तैयार करने, मिशन लॉन्च करने एवं योजना को व्यापक रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(iii) 'समिति' योजना के जिले स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाध्यक्षों के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी।

(iv) 'समिति' नियमित अंतराल से योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी।

(v) 'समिति' योजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई का निवाकरण करेगी।

3. विभिन्न विभागों की भागीदारी:-

क्र.	विभाग	भागीदारी
1.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नोडल विभाग
2.	ऊर्जा / नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	आवासीय क्षेत्र में सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना
3.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	ग्राम-पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कार्यालयों का सौर ऊर्जीकरण
4.	महिला एवं बाल विकास	आँगनवाडियों के सौर ऊर्जीकरण हेतु भवन उपलब्ध कराना, रख-रखाव करना।
5.	स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण	प्राथमिक, सामुदायिक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों का सौर ऊर्जीकरण
6.	स्कूल शिक्षा	कक्षा 6वीं से 12वीं के स्कूली छात्रों के लिये उनके बौद्धिक स्तर के अनुरूप कक्षावार पाठ्यक्रम एवं टूलकिट (सालाना 15 घंटे) तैयार करना, छात्रों को अभियान का एम्बेसेडर बनाना, मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, वालेन्टीयर्स की ट्रेनिंग, स्कूलों का सौर उर्जीकरण
7.	जन सम्पर्क	जन जागरण सामग्री एवं प्रचार प्रसार गतिविधियॉ यथा पोस्टर, एनिमेशन, विडियो, वेबसाईटस, सोशल मिडिया, एफ.एम. रेडियो, स्थानीय टी.व्ही. कार्यक्रम, Jingles, Wall writing
8.	उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग विभिन्न विश्वविद्यालय	महाविद्यालयों के छात्रों को ऊर्जा साक्षरता अभियान में सक्रिय रूप से शामिल करना, भवनों का सौर उर्जीकरण
9.	MPSEDC या अन्य	वेब पोर्टल को विकसित करना एवं रख-रखाव

4. प्रदेश में व्यापक रूप से ऊर्जा साक्षरता अभियान को मिशन मोड में क्रियान्वयन बाबत् निर्णय लिया गया है कि-

(i) इस योजना को "मध्यप्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान" (संक्षेप में योजना को "एमपी ऊषा") कही जावे।

(ii) ऊर्जा साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन हेतु नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को नोडल विभाग नामित किया जावे।

(iii) उपरोक्त कण्डिका 2 (विभागीय संक्षेपिका दिनांक 22.11.2021 की कण्डिका-4) में वर्णित संस्थागत व्यवस्था अनुसार समितियों का गठन किया जावे।

(iv) पोर्टल के कार्यशील होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त विभागों / निगमों / बोर्ड / संस्थानों आदि से सम्बद्ध प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी समस्त विश्वविद्यालय / स्कूल के छात्र / छात्राएँ आदि, को "ऊर्जा साक्षरता अभियान" योजना में निम्नानुसार भागीदारी सुनिश्चित की जावे -

(अ) स्वयं का प्रमाणीकरण कराकर

(ब) परिवार के सदस्यों का प्रमाणीकरण कर

(स) पास-पड़ोस के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना

(द) मोहल्ले/कॉलोनी के लोगों को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहित करना

(v) अभियान के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों द्वारा समय सीमा में कार्य सम्पन्न किए जाने के साथ ही आवश्यक बजट उपलब्धता सुनिश्चित किया जावे।

(vi) संबंधित जिला कलेक्टर प्रचलित नियमों के अधीन माईनिंग फंड, जन भागीदारी, सी.एस.आर. फंड एवं सांसद विधायक निधि इत्यादि स्त्रोंतो से अभियान के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग को राशि उपलब्ध कराएँ।

(vii) प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल साँची शहर को "सोलर सिटी" के रूप में विकसित किया जावे। इसके अंतर्गत साँची शहर की घरेलू शासकीय, अशासकीय, निजी व्यवसायिक कृषि इत्यादि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा एवं अक्षय ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों द्वारा इस प्रकार की जाएगी कि साँची शहर की कुल ऊर्जा खपत की पूर्ति अक्षय ऊर्जा/सौर ऊर्जा/हरित ऊर्जा के माध्यम से की जावे।

(viii) महिला बाल विकास विभाग के प्रदेश में स्थित सभी आँगनवाड़ी भवनों को सौर ऊर्जीकृत किया जावे। आँगनवाड़ी भवनों में "नो ग्रिड-नो बैटरी" आधारित सौर संयंत्र जन भागीदारी, सांसद/विधायक निधि, सी.एस.आर., माईनिंग फंड आदि से स्थापित किये जावे। पश्चातवर्ती चरण में पंचायत भवन, प्राथमिक

विद्यालय, उचित मूल्य दुकान को सौर ऊर्जीकृत किया जावे।

(ix) तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 12 तकनीकी संस्थानों को "off-grid" किया जाकर सम्पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जावे। कालांतर में अभियान में उच्च शिक्षा विभाग एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया जावे।

(x) अभियान के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग को अतिरिक्त बजट आवंटन उपलब्ध कराया जावे।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

प्रपत्र - 2

ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ने, खाता ओपन करने एवं ऊर्जा साक्षरता प्रमाण–पत्र हेतु पोर्टल के स्टेप

www.usha.mp.gov.in वेबसाईट पर जाये –

↓

फिर **"अभियान से जुड़े"** पर क्लिक करें –

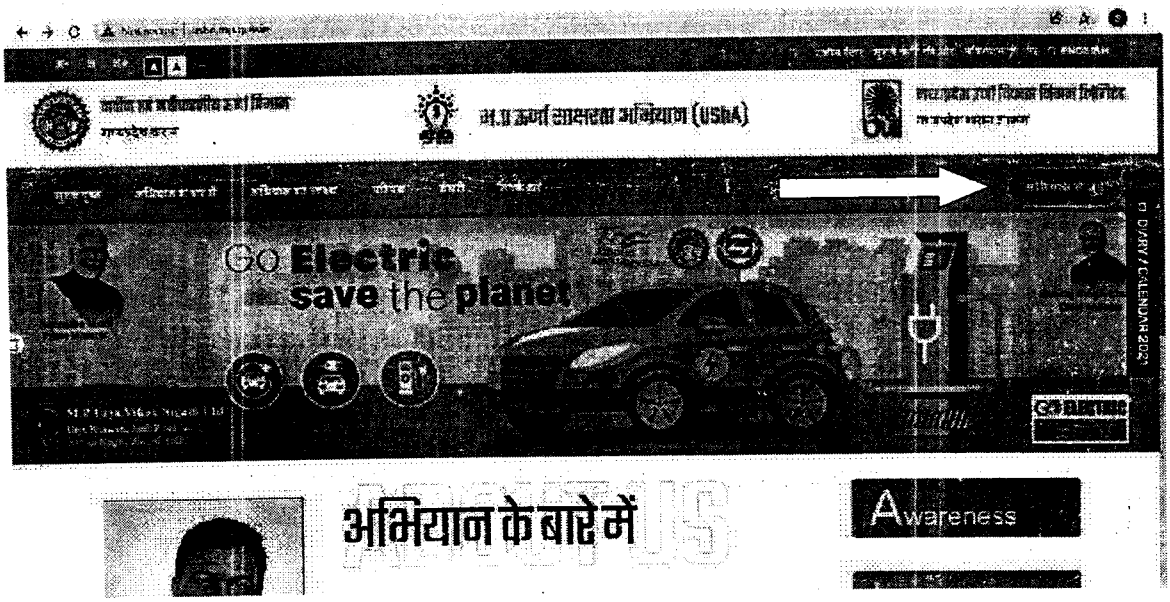

फिर **"अभियान से जुड़े"** पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पेज ओपन हो जाएगा –

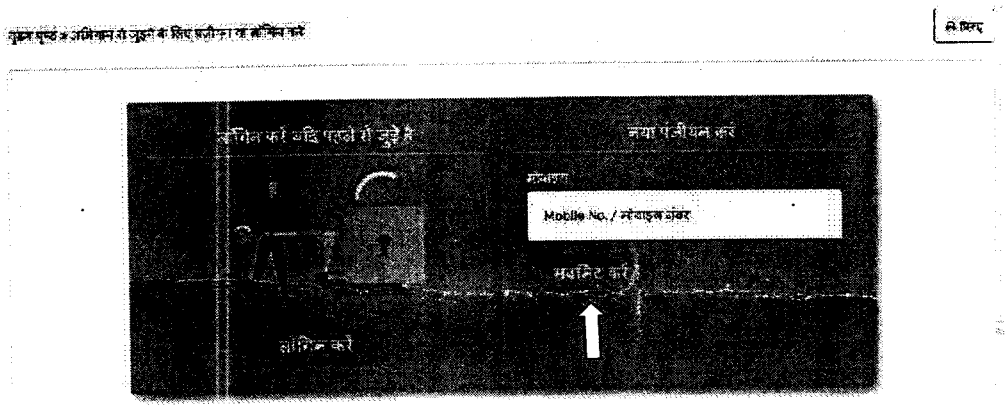

फिर अपना मोबाईल नम्बर डालने के बाद **"सबमिट"** पर क्लिक करें

फिर आपके मोबाईल पर एक ओ.टी.पी. आएगा। फिर ओ.टी.पी. दर्ज करने के बाद आपको अपना नया खाता बनाने के लिए नया पेज ओपन हो जाएगा –

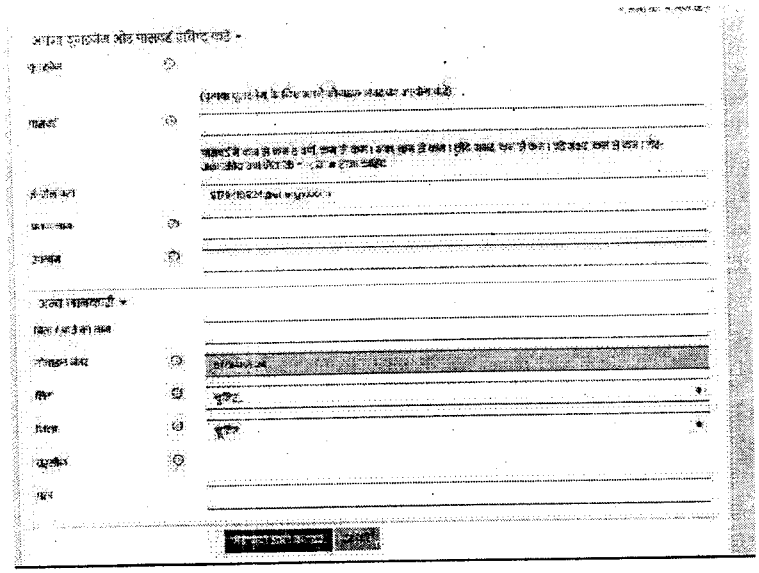

कृपया इसमें चाही गई जानकारी को भरकर **"मेरा नया खाता बनाइए"** पर क्लिक करें। इसके बाद आपका नया खाता बन जाएगा।

फिर आप अपना आई.डी. **(आई.डी. आपकी मोबाईल नम्बर ही है)** और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर सकते हैं।

लॉगइन करने के बाद आपको "Site Home" पर क्लिक करना है –

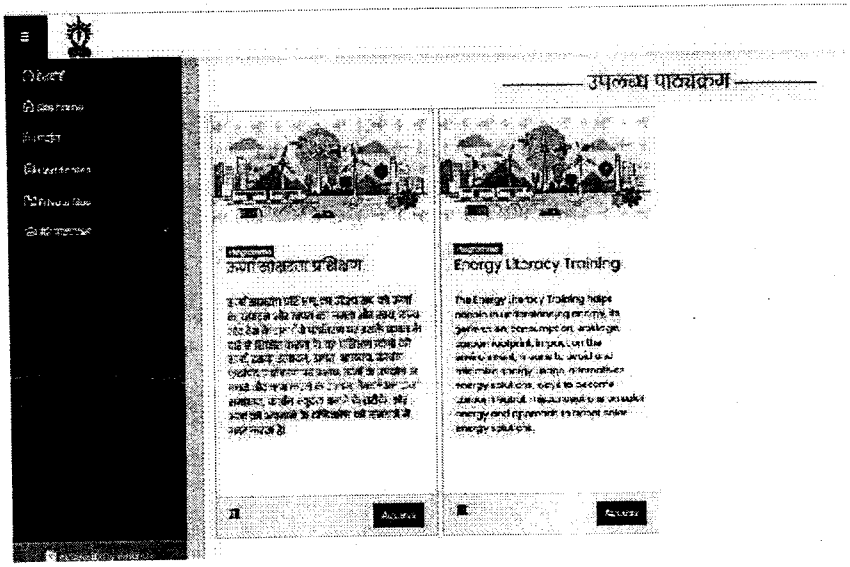

फिर आपको अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर Access पर क्लिक करें। Access पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पेज ओपन होगा –

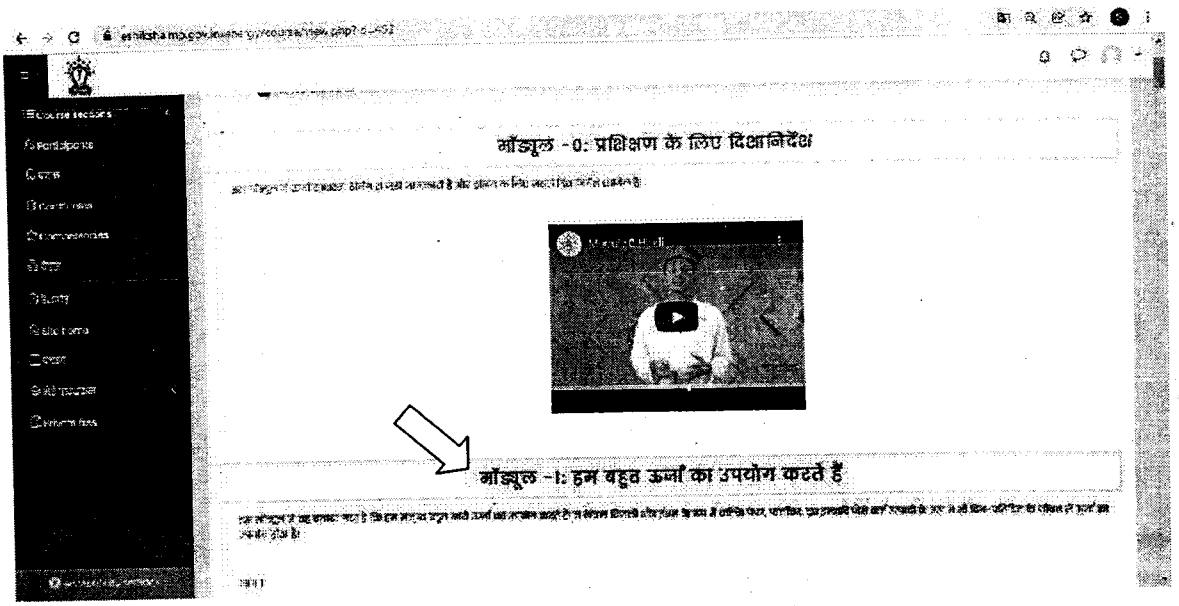

फिर आपको मॉड्यूल–1 पर क्लिक करना है।

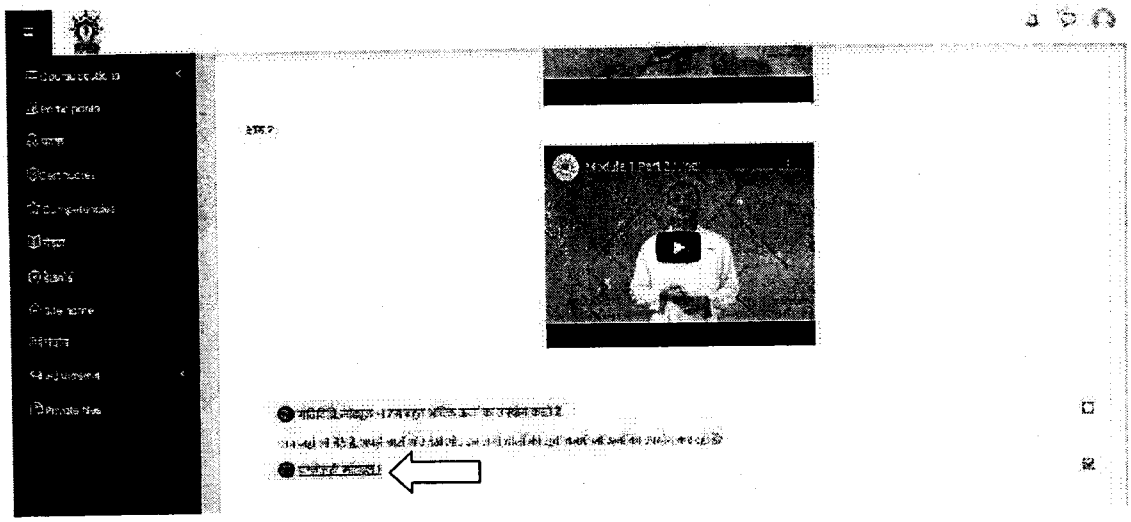

कृपया वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त करें एवं उसके उपरांत बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें।

मॉड्यूल–1 पर क्लिक करने के बाद **"प्रश्नोत्तरी: मॉड्यूल–1"** पर क्लिक करना है। **"प्रश्नोत्तरी: मॉड्यूल–1"** पर क्लिक करने के बाद Continue the last attempt पर क्लिक करना है –

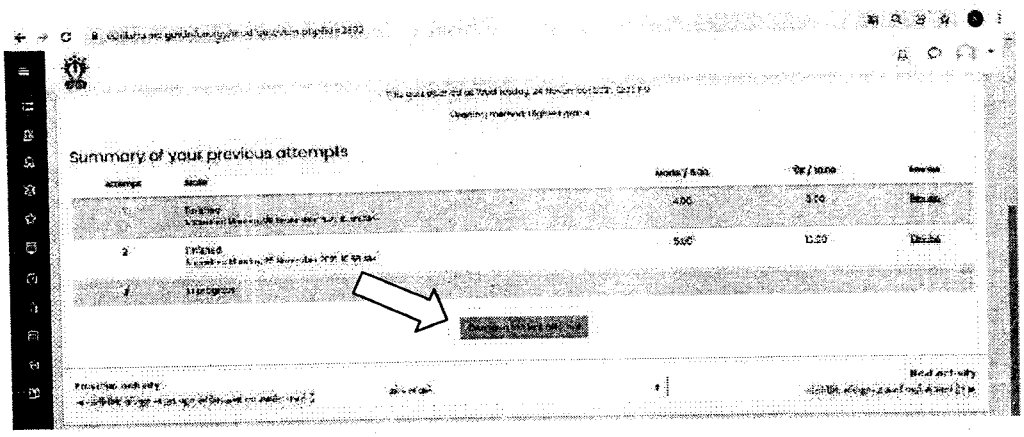

Continue the last attempt पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न का पेज ओपन हो जाएगा –

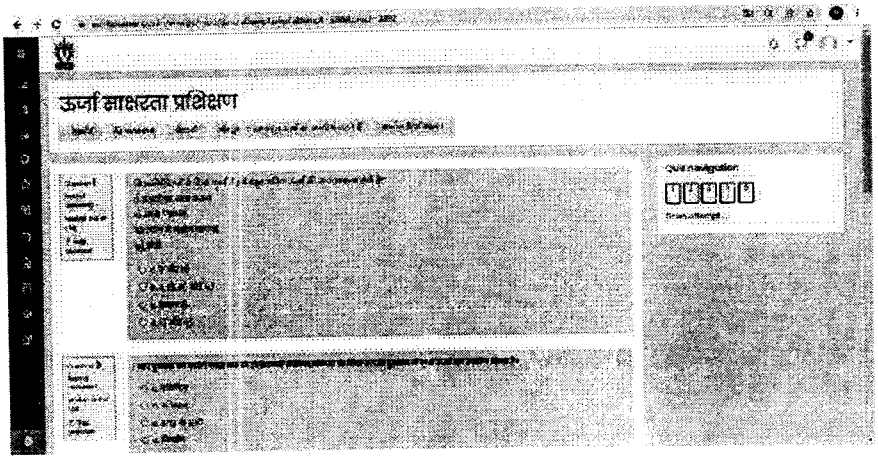

बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर के चुनाव करने के बाद आपको **"Finish Attempt"** पर क्लिक करना है।

"Finish Attempt" पर क्लिक करने के बाद **Submit all and finish** पर क्लिक करना है फिर **Submit all and finish** करने के बाद **Finish Review** पर क्लिक करना है।

इस तरह से आपका मॉड्यूल–1 बहुविकल्पी प्रश्न पूर्ण हो जावेगा।

अतः इसी तरह से आपको मॉड्यूल–1 से लेकर मॉड्यूल–11 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तरों का चयन करने के बाद ऊर्जा साक्षरता प्रमाण–पत्र डाउनलोड करना होगा।

प्रपत्र - 3

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 19–65/2021/1/4 भोपाल, दिनांक 26 नवंबर, 2021

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
सनस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषयः– समस्त शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा खपत में कम से कम 10 प्रतिशत विद्युत बचत सुनिश्चित करने के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया कि प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों की ऊर्जा खपत में कम से कम 10 प्रतिशत की बचत की जावे। इसके लिए निम्न सुझावों पर कार्यवाही की जा सकती है :–

1. कार्यालय में जरूरत न होने पर उपकरण को मुख्य स्विच से स्विच ऑफ करें।
2. कार्यालय से जाते समय समस्त विद्युत उपकरणों को स्विच ऑफ करें।
3. कार्यालयों में सामान्य बल्ब की जगह गुणवत्तायुक्त एल.ई.डी. बल्ब का उपयोग करें, जो सामान्य बल्ब अपेक्षा विद्युत की बचत करते हैं एवं अधिक समय तक खराब भी नहीं होते हैं।
4. कार्यालयों में दिन के समय कम बल्ब, न्यूनतम आवश्यकतानुसार उपयोग करें।
5. कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर का उपयोग न करते हुए स्क्रीन सेवर की जगह ब्लैंक (Blank) पर सेटिंग करें इससे बिजली की बचत होगी।
6. एयर कंडीशनर (ए.सी.) को आदर्श तापमान पर सेटिंग करें एवं यदि आवश्यक न हो तो एयर कंडीशनर का उपयोग न करें।
7. कम्प्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कोपियर को स्लीप मोड में सेटिंग करें, जिससे विद्युत की बचत होगी।
8. कार्यालय में पंखे को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करें।

निरन्तर ... 2

9. यथासंभव टास्क लाईट का इस्तेमाल करें, ना कि पूरे कमरे कि बिजली जलाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यालयों में ऊर्जा का अपव्यय न हो। यह भी अपेक्षा है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने आवासों में भी ऊर्जा की कम से कम 10 प्रतिशत बचत करें। उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत अपेक्षा न्यूनतम है, इसे और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

(डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
सचिव
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 19–65/2021/1/4 भोपाल, दिनांक 26 नवंबर, 2021

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
3. उप सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल,
4. पुलिस महानिदेशक, म.प्र., भोपाल,
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल,
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल,
7. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
9. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल,
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर,
11. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
12. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
13. सचिव, म.प्र. अल्प संख्यक आयोग, भोपाल,
14. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, अरेरा हिल्स, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
16. प्रबंध संचालक, समस्त निकाय/मंडल, म.प्र.,
17. माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/ निज सहायक, म.प्र. भोपाल,
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ ग्वालियर/ जबलपुर म.प्र.,
19. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल,
20. अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख) म.प्र., मंत्रालय, भोपाल,
21. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल
22. निज सचिव/निज सहायक, समस्त मंत्रीगण, म.प्र. शासन, भोपाल,
23. अधीक्षक, स्टेट गैरेज, भोपाल,
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/ संघ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग